

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक: 26/05/2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2 :: राज्य शासन एतद्वारा डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से. (1986), प्रमुख सचिव, रकूल शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अध्यक्ष, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2/ श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को केवल अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

3/ श्रीमती रेणु जी पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), अपर मुख्य सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर को अपर मुख्य सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

श्रीमती रेणु जी पिल्ले, भा.प्र.से. द्वारा अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997), सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

4/ श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश, आयुक्त, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC), (मुख्यालय दिल्ली) तथा प्रमुख सचिव, वन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2.....

श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994) द्वारा आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली केवल आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

5/ श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

6/ श्री भरत लाल बंजारे, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

7/ श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, सहकारिता विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा आयुक्त, निःशक्तजन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, कौशल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004) द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर केवल सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

8/ श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, खनिज साधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, पर्यटन एवं संरक्षित विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

9/ श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

10/ डॉ. संजय कुमार अलंग, भा.प्र.से. (2004), कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

11/ श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2004), अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर एवं सचिव, लोक आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है।

12/ श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005), कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है।

13/ श्री नीलम नामदेव एकका, भा.प्र.से. (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री नीलम नामदेव एकका, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

श्री नीलम नामदेव एकका, भा.प्र.से. (2005) द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री हेमंत पहारे (से.नि. भा.प्र.से. संविदा नियुक्ति), केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

14/ श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006), कलेक्टर, जिला-दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

15/ श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

16/ श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006) द्वारा विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री हेमंत पहारे (से.नि. भा.प्र.से. संविदा नियुक्त), केवल सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे।

17/ सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ करता है।

18/ श्री हिमशिखर गुप्ता भा.प्र.से. (2007), पंजीयक, सहकारी संस्थायें तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, प्रशासन अकादमी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

19/ श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जांजगीर चांपा के पद पर पदस्थ करता है।

20/ श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ करता है।

21/ श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।

22/ श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा संयुक्त सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के पद पर पदस्थ करता है।

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

23/ श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला—गौरेला—पेण्डा—मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियंत्रक, नाप—तौल के पद पर पदस्थ करता है।

श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियंत्रक, नाप—तौल के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

24/ श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—कोरिया के पद पर पदस्थ करता है।

25/ श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—जशपुर के पद पर पदस्थ करता है।

26/ श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला—गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है।

27/ श्री नीलकंठ टीकाम, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला—कोणडागांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के पद पर पदस्थ करता है।

28/ डॉ. तंबोली अच्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला—बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

डॉ. तंबोली अच्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से के आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

29/ श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ करता है।

श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

30/ श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है।

31/ श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गैरेला-पेंड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है।

32/ श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

33/ श्री जय प्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-धमतरी के पद पर पदस्थ करता है।

34/ श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-महासमुंद के पद पर पदस्थ करता है।

35/ श्रीमती रानू साहू भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर पदस्थ करता है।

36/ श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।

37/ श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला—नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—मुंगेली के पद पर पदरथ करता है।

38/ श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (2010), संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू—अभिलेख एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—कबीरधाम के पद पर पदरथ करता है।

39/ श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला—जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पदरथ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

40/ श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला—मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—दुर्ग के पद पर पदरथ करता है।

41/ श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला—सूरजपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—दंतेवाड़ा के पद पर पदरथ करता है।

42/ श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—सरगुजा के पद पर पदरथ करता है।

43/ श्री जन्मेजय महोबे, भा.प्र.से. (2011), आयुक्त—सह—संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—बालोद के पद पर पदरथ करता है।

44/ श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला—धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—बस्तर के पद पर पदरथ करता है।

45/ श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—बीजापुर के पद पर पदरथ करता है।

46/ श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—नारायणपुर के पद पर पदरथ करता है।

47/ श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संरक्षाएं तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—सूरजपुर के पद पर पदरथ करता है।

48/ श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला—कोण्डागांव के पद पर पदरथ करता है।

49/ श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), उप सचिव, लोक स्वारक्ष्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदरथ करता है।

50/ श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), अपर कलेक्टर, जिला—महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी, रायपुर के पद पर पदरथ करता है।

श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

51/ श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदरथ करता है।

52/ श्री एस. जयवर्धन, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के पद पर पदरथ करता है।

53/ श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन उप सचिव, छ.ग. राज्य योजना आयोग एवं उप सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदरथ करते हुए मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

54/ श्री राहुल देव, भा.प्र.से. (2016), आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर के पद पर पदरथ करता है।

55/ श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017), सहायक कलेक्टर, सरगुजा, अंविकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर के पद पर पदरथ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. ई 1-02/2020/एक-2

नवा रायपुर, दिनांक: 26/05/2021

प्रतिलिपि:-

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
2. अनुसंधान अधिकारी (कैरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर/छ.ग. माध्य. शिक्षा मण्डल/व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर,
6. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
9. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/दुर्ग, छत्तीसगढ़,
10. संबंधित समरत कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
11. संबंधित विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
12. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
13. उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रथा./अधी.), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
14. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
15. संबंधित अधिकारीगण/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
17. संबंधित कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
18. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(S)

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग